सामान्य व दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा स्तर व अध्ययन आदतों का एक समीक्षात्मक अध्ययन

भानु प्रताप
शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र, जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उतर प्रदेश (भारत)

सारांशः किसी भी राष्ट्र का संपूर्ण विकास तभी संभव है, जब उस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो तथा प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के निर्माण में अपना व्यक्तिगत योगदान दे सकें। भारत जैसे विविधता वाले देश में सरकार दिव्यांगजनों के शैक्षिक स्तर के उत्थान के लिए समय-समय पर अनेक नीतियों तथा योजनाओं का निर्माण करती रही है। इसके साथ ही शिक्षा के सभी स्तरों पर दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम भी उठाती है, इसके बावजूद दिव्यांगजनों को शिक्षा प्राप्ति के पथ में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत शोध कार्य के दो प्रमुख उद्देश्य (1) भारत में दिव्यांगजनों की साक्षरता दर को आधार मानते हुए इनकी शैक्षिक स्थिति को जानना तथा (2) दिव्यांगजनों की शिक्षा में आने वाली चुनौतियों एवं इनके निराकरण का अध्ययन करना था। प्रथम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शोधार्थियों ने भारत की जनगणना 2011 से संबंधित दस्तावेज तथा दिव्यांगजनों की शिक्षा से संबंधित अन्य प्रतिवेदनों का विषयवस्तु विश्लेषण किया। द्वितीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययनरत 22 दिव्यांग विद्यार्थियों तथा 10 विशिष्ट शिक्षकों का अर्द्ध-संरचित साक्षात्कार लिया। शोध कार्य में विषयवस्तु के विश्लेषण तथा अर्द्ध-संरचित साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण उपरांत शोधार्थी ने पाया कि भारत में दिव्यांगजनों की शैक्षिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। दिव्यांगजनों की शिक्षा में माता-पिता तथा समाज की जागरूकता की कमी है, अनुचित पाठ्यक्रम है व अनुकूलन और समेकित शिक्षा के प्रति शिक्षक तथा प्रशासनिक अधिकारी मददगार नहीं हैं। अधिकारियों, माता-पिता, साथियों एवं नीति निर्धारकों की अभिवृत्ति संवेदनपूर्ण नहीं है। साथ ही विद्यालय का अधिगम वातावरण, पारिवारिक सहयोग में कमी है तथा अनेक शैक्षणिक तथा प्रशासनिक चुनौतियाँ हैं, जो दिव्यांगजनों की शैक्षिक स्थिति तथा उनकी साक्षरता दर की प्रगति में बाधक सिद्ध होती हैं।

[**भानु प्रताप**, सामान्य व दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा स्तर व अध्ययन आदतों का एक समीक्षात्मक अध्ययन. *The International Journal of Interpretation, Observation and Analysis*, 2025; Volume 2, Issue 1:145-149 (April-June). ISSN 2349-0713, Peer-reviewed (online/offline), Refereed, Indexed and International Journal (Since 2013), Global Impact Factor: 5.776

कुंजी शब्द – समान्य वर्ग,आरक्षित वर्ग, शैक्षिक उपलब्धि, शैक्षिक आकांक्षा ।

परिचय

शिक्षा मनुष्य के विकास का अपरिहार्य माध्यम है । शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है । बिना शिक्षा मनुष्य का जीवन बोझिल हो जाता है । मनुष्य के जीवन में अनेक समस्याएँ होती है उन समस्याओं को सुलझाने हेतु हमें जिस अस्त्र की आवश्यकता होती है वह शिक्षा ही है । शिक्षा सबसे बड़ा धन है जिसके द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते है । किसी भी देश के विकास की नींव शिक्षा होती है । इसीलिए सभी देश अपने नागरिकों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करते है । वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य बालक में कला कौशल का विकास करना है । कला कौशल बालक में आत्मा विश्वास की भावना जाग्रत कर आने वाले समय में विकास की नींव तैयार करती है । समाज के प्रत्येक स्तर के व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता होती है । शिक्षा का स्तर जितना उच्च होगा वहां के नागरिक उतना ही व्यावहारिक और आत्मा विश्वासपूर्ण ढंग से अपना जीवन सफल बनायेंगे एवं राष्ट्र के विकास में अपना योग दे सकेंगे । संक्षेप में कहा जा सकता है शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा छात्रों की शारीरिक,मानसिक,अध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है एवं जीवन को रोशनी मिलती है साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मक उपलब्धि के द्वार खुल जाते है ।

सामान्य वर्ग में ब्राह्मण ,क्षत्रिय, आते है आरक्षित वर्ग में अनुसूजित जाति, अनु.,जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आते है । भारतीय संविधान के नीतिनिर्देशक तत्वों में आरक्षित वर्ग हेतु विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है । जिन्हें पूरा करना केंद्र एवं राज्य सरकारों ने इसका विशेष ध्यान रखा है जिससे इस वर्ग का कल्याण हो सके । आरंभ में आरक्षण की व्यवस्था केवल 70 वर्षों के लिए ही थी किन्तु बाद में इसे 79वें संविधान संसोधन 1999 के द्वारा सन 2011 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ।

किसी भी लक्ष्य या मूल्य आदि को प्राप्त करने की इच्छा आकांक्षा कहलाती है । आकांक्षा के लिए प्रतिदिन के जीवन में देखते है की कुछ व्यक्ति जितना कार्य कर रहे है उससे कम पाने की इच्छा प्रकट करते है । कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति के कार्य करने की मात्रा एवं उस कार्य को सीखने की मात्रा उसकी आकांक्षा पर आधारित होती है । व्यक्ति की आकांक्षाएं स्तर पर आधारित होती है । उसकी आकांक्षाएं ही उसे जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करती है । आकांक्षा आत्मिक उन्नति की शक्ति की द्योतक है। आकांक्षा वह आतंरिक शक्ति है जिसके द्वारा

मनुष्य को उद्धत किया जाता है कि वह अपने उच्चतम स्वरुप को एवं सत्य अंश की ओर आत्मिक रूप से अग्रसर हो सके । शैक्षिक उपलब्धि वह संप्रत्यय है जो किसी व्यक्ति द्वारा ज्ञान के लिए किसी विशेष शाखा में दिए गए पाठ्यक्रम में अधिगम और शिक्षा जो कि निश्चित काल के लिये ही दी जाति है जिनका प्रयोग निश्चित विद्यालयों में होता है । पढाई के समय छात्र अनेक परीक्षाएं देता है । जो उसके पढाई को दिखाता है । शैक्षिक उपलब्धि छात्र की बुद्धि स्तर,अभिरुचि ,अभिवृत्तियों,आदतों, पर्यावरण आदि पर निर्भर करती है ।

शोध का औचित्य

समाज की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नति हो परन्तु समाज की उन्नति भावी राष्ट्र निर्माता अर्थात छात्र- छात्राओं की उन्नति पर ही निर्भर है । सभी वर्ग के विद्यार्थियों की कई प्रकार की समस्याएं होती है उनमें से एक समस्या विद्यार्थी की शैक्षिक आकांक्षा एवं शैक्षिक उपलब्धि से सम्बंधित होती है । जिन विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा स्तर एवं शैक्षिक उपलब्धि की समस्याओं को समझना एवं उन्हें दूर करना है परन्तु आजकल विद्यार्थी अपनी कुछ समस्याओं को स्वयं ही हल कर लेता है उन्हें केवल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है । आकांक्षा का स्तर कैसा भी हो उसके जीवन और व्यवहार में इनका महत्व कभी भी कम नहीं होता है । आकांक्षा स्तर के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि निर्धारित होती है । जिस प्रकार एक बालक रात-दिन कड़ी मेहनत करके अच्छा नागरिक बनता है उसी प्रकार एक विद्यार्थी भी उच्च शैक्षिक उपलब्धि हेतु कड़ी मेहनत करता है । जीवन में उत्साह और प्रेरणा रखने के लिए आकाँक्षाओं का होना एवं उच्च उपलब्धि का प्रयास नितांत आवश्यक है ।

शोधार्थी द्वारा किया गया शोध अध्ययन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है । इस अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी जिससे शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को जानकर उचित निदान कर शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ने का प्रयास किया जायेगा । इस शोध अध्ययन के माध्यम से सभी वर्ग के विद्यार्थियों की आकाँक्षाओं को समझकर उनको उचित दिशा और पर्यावरण प्रदान कर शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा । नयी और स्वस्थ सुन्दर आकांक्षाओं की उत्पति होगी।

दिव्यांग बच्चों की शिक्षा

भारतीय शिक्षा की स्थितिः यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) द्वारा दिव्यांग बच्चों की रिपोर्ट जारी की गई है_ जिसमें शिक्षा के अधिकार के संबंध में दिव्यांग बच्चों (CWDs) की उपलब्धियों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

दिव्यांगों की शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशें

- ऐसे बच्चों की शिक्षा से सम्बंधित विशिष्ट चिंताओं को दूर करने के लिए, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPWD Act), 2016 का संरेखण शिक्षा का अधिकार अधिनियम के साथ किया जाना चाहिए।
- इसके अंतर्गत सभी दिव्यांगों को शामिल किया जाना चाहिए।
- दिव्यांगों से सम्बंधित प्रभावी योजना बनाने के लिए विश्वसनीय डेटा होना चाहिए।
- दिव्यांगों से संबंधित सभी शिक्षा कार्यक्रमों का प्रभावी समन्वय और अभिसरण (convergence) होना चाहिए।
- दिव्यांगों के सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा से सम्बंधित बजट आवंटन में वृद्धि करना।
- दिव्यांगों की शिक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
- दिव्यांगोंके विविधतापूर्णशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण देना।
- दिव्यांगजनों के प्रति रूढ़िवादी सोंच को दूर करना और सकारात्मक स्थिति का निर्माण करना।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- भारत के बच्चों की कुल जनसंख्या का 1.7% भाग दिव्यांग बच्चों का है।
- 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 75% और 5-19 वर्ष की आयु वर्ग के 25% दिव्यांग किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नहीं जाते हैं और उनका नामांकन स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ निरंतर रूप से गिरता है।
- स्कूली शिक्षा में विकलांग बालिकाओं के साथ लैंगिक भेदभाव होना।
- एक से अधिक विकलांगता वाले बच्चों के बीच स्कूलों में कम उपस्थिति, मानसिक बीमारियां और मानसिक मंदता का होना।

चुनौतियां

- बड़ी संख्या में विकलांग बच्चों को स्कूलों में लाने की कई सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बावजूद अभी बड़ा अंतराल बना हुआ है।

- विकलांग बच्चों का हाई स्कूल छोड़ने की उच्च दर (12%) का होना।
- एक-चौथाई विकलांग बच्चों ने कभी भी किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश नहीं लिया।

दिव्यांग के लिए समावेशी शिक्षा योजना (IEDSS) का विस्तृत वर्णन

माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग के लिए समावेशी शिक्षा योजना (IEDSS) वर्ष 2009 – 10 से प्रारम्भ की गई है। यह योजना निःशक्त बालकों के लिए एकीकृत योजना के स्थान पर प्रमुख है। यह योजना कक्षा IX-XII में पढ़ने वाली निःशक्त बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है। वर्तमान समय में इस योजना को वर्ष 2013 से माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.एस) के अन्तर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य बालकों के साथ-साथ विकलांग बालकों को भी शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। कक्षा नौवीं से बारहवीं कक्षा में सामान्य बालकों के साथ समावेशी छात्रों को सम्मिलित करने के लिए अनेक सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकायों एवं स्कूलों की व्यवस्था करने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त यह योजना प्रत्येक राज्य में मॉडल समावेशी विद्यालयों की स्थापना करने की परिकल्पना की है।

आई.ई.डी.एस.एस. के लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives of IEDSS)

1. प्रत्येक असमर्थी बालकों की विकलांगता की पहचान माध्यमिक स्तर पर की जाएगी तथा उसके अनुसार उनकी आवश्यकताओं का आंकलन भी किया जाएगा।
2. प्रत्येक असमर्थी बालक को उनकी आवश्यकतानुसार सहायक यंत्रों एवं उपकरणों को प्रदान किया जाएगा।
3. असमर्थियों की विभिन्न विद्यालय से सम्बन्धित बाधाओं को दूर करके कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों एवं शौचालयों आदि की सुविधा प्रदान की जाएगी।
4. प्रत्येक असमर्थी बालक को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।
5. असमर्थी बालकों को पढ़ाने के लिए माध्यमिक स्तर पर सभी सामान्य स्कूलों के शिक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
6. असमर्थी बालकों की शिक्षा के लिए मॉडल स्कूलों का निर्माण किया जाएगा।
7. एक समावेशी अनुकूल वातावरण में माध्यमिक स्तर पर सामान्य एवं विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाएगी।
8. माध्यमिक स्तर पर (कक्षा 9 से 12 तक) सामान्य शिक्षा प्रणाली के द्वारा ही विकलांग छात्रों को भी शिक्षा के अवसर एवं सुविधाएँ प्रदान की जाए ।
9. सामान्य स्कूलों के शिक्षकों का प्रशिक्षण असमर्थी बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थन करेगी।

दिव्यांग व्यक्तियों का समावेशन और सशक्तीकरण

निःशक्तता दिव्यांगजन और उन अभिवृत्तिक एवं परिवेशीय अवरोधों के बीच की अंतःक्रिया से उत्पन्न होती है जो दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है।

- **वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार** अखिल भारतीय स्तर पर दिव्यांगजनों की संख्या कुल जनसंख्या का 2.21% थी, जिसमें से 7.62% दिव्यांगजन 0-6 वर्ष आयु वर्ग के हैं।
- भारत ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किया था और फिर 1 अक्टूबर, 2007 को इसकी पुष्टि भी की। एक नए दिव्यांगता कानून (**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016**) के अधिनियमन ने दिव्यांगता की संख्या को 7 स्थितियों से बढ़ाकर 21 कर दिया।
- निःशक्तताओं पर ध्यान व्यक्ति से हटकर समाज की ओर स्थानांतरित हो गया है, अर्थात यह निःशक्तता के चिकित्सा मॉडल से निःशक्तता के सामाजिक या मानवाधिकार मॉडल में स्थानांतरित हो गया है।

निःशक्तता के विभिन्न मॉडल कौन-से हैं?

- **चिकित्सा मॉडल (Medical Model):**
  - चिकित्सा मॉडल में कुछ शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को दिव्यांग माना जाता है।
    - इसके अनुसार निःशक्तता व्यक्ति में निहित होती है क्योंकि इसे निरुग्नता, उपचार और पुनर्वास के माध्यम से परिवेश के साथ समायोजन के बोझ सहित गतिविधि के प्रतिबंधों के समान देखा जाता है।
- **सामाजिक मॉडल (Social Model):**
  - सामाजिक मॉडल उस समाज पर ध्यान केंद्रित करता है जो दिव्यांगजनों के व्यवहार पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है।
    - इसके अंतर्गत निःशक्तता व्यक्तियों में नहीं, बल्कि व्यक्तियों और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में होती है।

भारत में दिव्यांगजनों के लिये संवैधानिक ढाँचा

- **राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों** (DPSP) के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।
- **संविधान की सातवीं अनुसूची** की राज्य सूची में 'दिव्यांगजनों और बेरोज़गारों को राहत' का विषय निर्दिष्ट है।

भारत में दिव्यांगजनों से संबंधित प्रमुख समस्याएँ

- **भेदभाव:**
  - दिव्यांगजनों से संबद्ध 'कलंक' के आधार पर निरंतर भेदभाव के साथ ही उनके अधिकारों के बारे में समझ की कमी उनके लिये अपने मूल्यवान शक्तता या कार्यकरण (Functioning) की प्राप्ति करना अत्यंत कठिन बना देती है।
    - दिव्यांग महिलाएँ और बालिकाएँ यौन और लिंग-आधारित हिंसा के अन्य रूपों का अनुभव करने का अधिक जोखिम रखती हैं।
- **स्वास्थ्य:**
  - कई प्रकार की निःशक्तता निवारण-योग्य होती है। इनमें जन्म के दौरान चिकित्सा संबंधी समस्याएँ, गर्भवती स्त्री से संबद्ध समस्याएँ, कुपोषण के साथ ही दुर्घटनाओं और आघातों से उत्पन्न होने वाली निःशक्तताएँ शामिल हैं।
    - लेकिन जागरूकता की, देखभाल की और अच्छी एवं सुलभ चिकित्सा सुविधाओं की व्यापक कमी की स्थिति है।
- **शिक्षा और रोज़गार:**
  - दिव्यांगजनों के लिये विशेष विद्यालयों, विद्यालयों तक पहुँच, प्रशिक्षित शिक्षकों और शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता की कमी है।
  - भले ही कई दिव्यांग वयस्क उत्पादक कार्य करने में सक्षम होते हैं, दिव्यांग वयस्कों की रोज़गार दर सामान्य आबादी की तुलना में बहुत कम है।
- **राजनीतिक भागीदारी:**
  - देश में राजनीतिक क्षेत्र से दिव्यांगजनों का बहिर्वेशन राजनीतिक प्रक्रिया के सभी स्तरों पर और विभिन्न तरीकों से घटित होता है, जैसे:
    - निर्वाचन क्षेत्रों में दिव्यांगजनों की सही संख्या पर उपलब्ध समग्र डेटा का अभाव।
    - मतदान प्रक्रिया की दुर्गमता (जैसे ब्रेल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का व्यापक उपयोग नहीं किया जाता)।
    - दलगत राजनीति में भागीदारी के मार्ग में बाधाएँ।
  - भारत में राजनीतिक दल दिव्यांगजनों को किसी बड़े या मज़बूत मतदाता वर्ग के रूप में नहीं देखते हैं कि उनकी आवश्यकताओं को विशेष रूप से संबोधित करें।
- **प्रवर्तन की शिथिलता:**
  - दिव्यांगजनों की स्थिति में सुधार के लिये सरकार ने कुछ सराहनीय पहलें की है।
    - लेकिन भारत सरकार द्वारा 'सुगम्य भारत अभियान' (Accessible India Campaign) के तहत सभी मंत्रालयों को अपने भवनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के निर्देश के बावजूद भारत में अधिकांश भवन दिव्यांगजनों के अनुकूल नहीं हैं।
    - इसी प्रकार, **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम** (Rights of Persons with Disabilities Act) ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिये आरक्षण का एक कोटा प्रदान किया है, लेकिन इनमें से अधिकांश पद खाली हैं।

आगे की राह

- **निवारक कार्रवाई:**
  - निवारक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है और आरंभिक बाल्यावस्था में सभी बच्चों की स्क्रीनिंग या परीक्षण किया जाना चाहिये।
  - केरल ने पहले ही एक आरंभिक निवारक कार्यक्रम शुरू कर दिया है।
    - व्यापक नवजात स्क्रीनिंग (Comprehensive Newborn Screening- CNS) कार्यक्रम

शिशुओं में कमियों की आरंभ में ही पहचान कर लेने और इस प्रकार राज्य पर निःशक्तता का बोझ कम करने का लक्ष्य रखता है।

- **समुदाय-आधारित पुनर्वास (Community-Based Rehabilitation- CBR) दृष्टिकोण:**
  - यह सुनिश्चित करने के लिये CBR दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि दिव्यांगजन अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकें, नियमित सेवाओं एवं अवसरों तक उनकी पहुँच हो और अपने समुदायों के भीतर वे पूर्णतः एकीकृत हो सकें।
- **निःशक्तता के संबंध में समझ और जन जागरूकता बढ़ाना:**
  - सरकारों, स्वयंसेवी संगठनों और व्यावसायिक संघों को ऐसे सामाजिक अभियान चलाने पर विचार करना चाहिये जो दिव्यांगजनों से संबंधित कलंकित मुद्दों पर समाज के दृष्टिकोण में बदलाव ला सकें।
    - इस संदर्भ में मुख्यधारा मीडिया ने सही कदम आगे बढ़ाया है जहाँ 'तारे ज़मीन पर' और 'बर्फ़ी' जैसी फिल्मों में दिव्यांगजनों का सकारात्मक प्रतिनिधित्व किया गया है।
    - 'स्पेशल नीड' लेबल वाले विशेष विद्यालय कलंक या नकारात्मक संकेतार्थ उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ छात्रों के पास केवल विशेष आवश्यकता वाले साथियों से ही संवाद करने और सीखने का अवसर होगा।
      - वे प्रभावों की एक विस्तृत श्रृंखला के संपर्क में नहीं आ सकेंगे।
      - दिव्यांगजनों के बीच समावेशिता को बढ़ावा देने के लिये विशेष विद्यालयों और बाहरी दुनिया के बीच संक्रमण का एक उचित माध्यम होना चाहिये।
- **राज्यों के साथ सहयोग:**
  - गर्भवती माताओं की देखभाल के बारे में जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी एवं सुलभ चिकित्सा सुविधाएँ निःशक्तता उत्पन्न होने की समस्या को संबोधित कर सकने के महत्त्वपूर्ण स्तंभ हैं।
    - इन दोनों ही विषयों में कार्रवाई कर सकने हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाना चाहिये क्योंकि स्वास्थ्य संविधान में 'राज्य सूची' के अंतर्गत शामिल है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ए.बी.जे.ओ.(1970) : नाइजीरिया किशोरों का शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अध्ययन, जनरल ऑफ़ एजुकेशन एंड वोकेशनल मेनेजमेंट-462 अगस्त वाल्यूम 4/1 ।
2. बुच एम.बी.: सेकण्ड सर्वे आफ रिसर्च एंड एजुकेशन इनसाइक्लोपीडिया 19 72-78
3. भटनागर सुरेश (2012): शिक्षा मनोविज्ञान, आर.लाल.बुक डिपो,आगरा ।
4. भटनागर मीनाक्षी: मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन,आर.लाल.बुक डिपो,आगरा ।
5. महेश भार्गव (1962): आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण एवं मापन ,प्रकाशक हर प्रसाद भार्गव 4/ 230 कचहरी घाट आगरा ।
6. कपिल एच.के. (1978): सांख्यकी के मूल तत्व , विनोद पुस्तक मंदिर आगरा |
7. गौड़ एच.सी.(1973): दिल्ली के विद्यालय के छात्रों का शैक्षिक आकाँक्षाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन ।